न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 55/2021

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रमेशचन्द्र पुत्र श्रीराम जाति माली नि0 वॉटर वर्क्स रोड़, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)		1 अमराराम पुत्र वचनाराम 2 केवलचंद पुत्र वचनाराम 3 ढगलाराम पुत्र वचनाराम जातियान माली नि0 बेरा कुण्डलिया सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली। 4 तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अनुपस्थित।**
3. **तहसीलदार, सोजत उपस्थित**

—: **निर्णय** :— दिनांक :—17.01.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बासना, प0हल्का बासना, तहसील सोजत में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 1283 रकबा 1.5600 हैक्टर की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1277 रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1278 रकबा 1.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.3800 हैक्टर तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 1277 रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1278 रकबा 1.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.3800 हैक्टर में आने—जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या ख0न0 1283 रकबा 1.5600 हैक्टर में माठ के सहारे सहारे प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक एवं नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बासना, प0हल्का बासना, तहसील सोजत जिला पाली के अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 1283 रकबा 1.5600 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे परिशिष्ठ 'क' अनुसार दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थी की खसराजात कृषि जोत भूमि ख0न0 1277 रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1278 रकबा 1.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.3800 हैक्टर तक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला पाली)

आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की तामिली रिपोर्ट जरिए रजि0 डाक एवं अप्रार्थी संख्या 04 तहसीलदार, सोजत बाद तामिली प्राप्त हुई, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 बाद तामिली बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने बावजूद तामिली/सूचना अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.01.2022 को की गई। तहसीलदार सोजत से दिनांक 10.11.2021 को प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछनीय तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है, बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। पटवारी चण्डावल भू0अ0 निरीक्षक चण्डावल मय तहसीलदार, सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/4320 दिनांक 10.11.2021 के जरिए प्रस्तुत वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि ख0न0 1277 रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1278 रकबा 1.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.3800 हैक्टर में जाने हेतु अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 1283 रकबा 1.5600 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा रास्ता में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 बासना द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थीया पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि दिनांक 27.07.2021 को न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्ररकण 55/2021 में प्रार्थी रमेशचन्द्र बनाम अप्रार्थीगण अमराराम वगेरह में ग्राम बासना में प्रार्थी के खसरा नम्बर 1277 रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1278 रकबा 1.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु रास्ता मय मौतबिरान रूबरू मौके पर पहुँचे। खसरा नंबर 1277, 1278 में आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने उक्त भूमि में आने जाने हेतु ख0न0 1283 से रास्ता चाहा है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु नजदीकी खसरे नंबर 1283 रकबा 1.5600 है0 कृषि भूमि में से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि कुल रकबा 0.0560 है0 बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 111780/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार 140 × 04 = 0.0560 है0 ×111780 × 2 =12520/–रू0 प्रति कर राशि देय है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 1283 से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली है, अनुसार रास्ते की भूमि दिया जाना न्यायोचित अंकित किया है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ता मय प्रार्थी को सुना गया तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 बासना, पटवारी हल्का बासना की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1277, 1278 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 1283 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार डी0एल0सी0 की दो गुणा देय प्रतिकर राशि, भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–::आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बासना, पटवार हल्का बासना, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 1277 रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1278 रकबा 1.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 1283 में से रकबा 1.5600 है0 बा0अ0 कृषि भूमि में से सम्बद्ध निम्नांकित खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 1283 रकबा 0.0560 हैक्टर (140 X 4 वर्गमी0 = 0.0560 है0 डी0एल0सी0 111780 प्रति हैक्टर की दौगुणा राशि 12520/– रूपये (अक्षरे बारह हजार पांच सौ बीस रूपये) उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा जरिए डिमाण्ड ड्राफ्ट करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	1283	1.5600 किस्म	अमराराम पुत्र वचनाराम 1/3 हिस्सा जाति माली सा0 सोजत खातेदार	140 X 4 वर्गमी0 = 0.0560 है0	4173/–

2		बा0आ0	केवलचंद पुत्र बचनाराम 1/3 हिस्सा जाति माली सा0 सोजत खातेदार		4173/–
3			छगनलाराम पुत्र बचनाराम 1/3 हिस्सा जाति माली सा0 सोजत खातेदार		4173/–
			योग :–	0.0560 है0	12520/-

तदानुसार राजस्व रेकर्ड, नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.